

वर्गचालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर

दस्तावेज संख्या : जिविआ / प्रावि, पंजाब / बालिका / एन - 8587 दिनांक 19-6-2013

नामः श्रीगुरुः

(ਭਾਗ ੨)

नयूरसकुल

मार्ग अलवर

शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का कार्य नियम 2010 के नियम 11 के रूप नियम (4) के अधीन दालय में गान्धिता प्रमाण-पत्र।

आपके दिनांक _____ के आदेश और इस संबंध में विद्यालय को साथ
पश्चात्तुषती पत्राचार/निर्देशन के प्रतीतिदेश से मैं ममूर स्कूल रायपुर
मार्ग अलखर गेट एजमेर (विद्यालय
का नाम यहाँ सहित) को दिनांक 01.01.2017 को दिनांक 01.01.2017 तक दिन गों को
अवधि को लिए कक्षा I से कक्षा V तक के लिए अन्तरिम बान्धता प्रदान
करने की संसुचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति विप्लवविहित सर्तों को पूरा किए जाने के
अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी दिव्यालय नहीं है और यहाँ किसी भी रूप में प्रकाश-संकेत प्रकाश मान्यता/संयोजन के लिए कोई वास्तविक विवरण नहीं है।
2. निम्नलिखित का शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम अधिनियम, 2009 (अध्याय 1) और निम्नलिखित और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम अधिनियम, 2010 (अध्याय 2) के उपबंधों को पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस बच्चा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक शाल-पड़ोस के बालकों के वर्गों और अलाभग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निम्नलिखित और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट मानकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 में के उपबंधों के अनुसार प्रतिगुणित किया जाएगा, जो प्रमाणित प्राप्ति के लिए विद्यालय में, प्रथम दो, न्याय रखेगा।

4. विद्यालय किसी कौन्सिलेशन शुल्क का प्रयोजन नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी वर्गगत प्रविष्टि के अधधीन नहीं करेगा।
5. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश अन्य स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर लगावर्ती होता गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय में निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दुरु या मानसिक बर्बरता के अधधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को कोई बौद्धिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकारित विद्यार्थी अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चितता प्राप्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास उस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियमित अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकतम पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का प्रारम्भ करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकृत विद्यालय में उपलब्ध प्रशिक्षकों के अनुपात में विद्यार्थियों को नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविहित विद्यालय के मानकों और मानकों को बनाए रखेगा। अंतरिक्ष निर्माण के समस्त प्रतिवेदन की यह प्रसुद्धि निम्नानुसार है -

विद्यालय परिसर का क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

निर्माणाधीन क्षेत्र

कुल निर्मित क्षेत्र

प्रधानाध्यापक सह-प्रधानाध्यापक सह-प्रधानाध्यापक

बालक और बालिकाओं के लिए पुस्तक शोचानुसार

पेयजल सुविधा

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर